//विज्ञप्ति//

विषयः– एम.पी.हाउसिंग बोर्ड के निर्माण कार्यो की गुणवत्ता नियंत्रण हेतु क्वालिटी मानिटर्स की नियुक्ति के संबंध में विज्ञप्ति।

एम.पी.हाउसिंग बोर्ड अपनी विभागीय एवं निक्षेप कार्यो की गुणवत्ता की स्वतंत्र रूप से मानिटरिंग करने हेतु क्वालिटी मानिटर्स के लिये आवेदन पत्र आमंत्रित करता है। इसमें एम.पी. हाउसिंग बोर्ड के सेवानिवृत्त उपायुक्त एवं अपर आयुक्त स्तर के अधिकारी तथा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, मिलीट्री इंजीनियरिंग सर्विसेस, ग्रामीण यांत्रिकी विभाग, राज्य लोक निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग एवं जल संसाधन विभाग के सेवानिवृत्त अधीक्षण यंत्री एवं उससे उपर स्तर के अधिकारी आवेदन कर सकते है, जिन्हें सभी प्रकार के सिविल इंजीनियरिंग निर्माण कार्यो के सम्पादन एवं पर्यवेक्षण का समुचित अनुभव हों।

स्वतंत्र क्वालिटी मानिटर्स को मण्डल द्वारा रूपये 750/– प्रतिदिन की मान से पारिश्रमिक भत्ता देय होगा। उन्हें म.प्र. के किसी भी हिस्से में एम.पी.हाउसिंग बोर्ड द्वारा सम्पादित किये जा रहे कार्यो के पर्यवेक्षण के लिये भेजा जा सकेगा। संबंधित अधिकारी जिन जिलों में कार्य करने के इच्छुक हों, उसकी प्राथमिकता दर्शा सकते है। मण्डल का प्रयास होगा कि उन्हें उनकी प्राथमिकता वाले जिलों में ही पर्यवेक्षण कार्य दिया जायें।

इच्छुक आवेदक मण्डल द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन मुख्यालय में अपर आयुक्त से विज्ञप्ति जारी होने से एक माह की अवधि में निशुल्क प्राप्त कर सकते है, अथवा मण्डल की वेब साइट (www.mphousing.in) के प्राप्त कर सकते हैं।

(व्ही.एस.जोशी)
अपर आयुक्त
एम.पी.हाउसिंग बोर्ड
पर्यावास भवन मदर टेरेसा मार्ग
भोपाल–462011
दूरभाष न. 2557792

एम.पी.हाउसिंग बोर्ड के क्वालिटी मानिटर्स हेतु आवेदन पत्र

पासपोर्ट साईज
नवीनतम
फोटोग्राफ

1. अधिकारी का नाम :
2. वर्तमान पता :
3. जन्मतिथि :
4. शैक्षणिक योग्यता :
5. शासकीय/मण्डल की सेवा में सेवारत् होने की तिथि एवं पद :
6. सेवानिवृत्ति के समय पद एवं वेतनमान :
7. राज्य एवं विभाग :
8. सेवानिवृत्ति तिथि :
9. दूरभाष :
10. मोबाईल नम्बर :
11. अनुभव निम्न प्रपत्र में :

विभाग का नाम	पद	अवधि	इस अवधि में कराये गये कार्यो का विवरण
1	2	3	4

12. जिलो का नाम जहॉ प्राथमिकता के आधार पर कार्य करने में इच्छूक हों :
13. किन्ही तीन वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारियों के नाम जिनके अधिनस्थ कार्य किया हों :
14. अन्य विवरण :

आवेदक के हस्ताक्षर

(आवेदक का नाम एवं
पत्र व्यवहार का पता)

मण्डल के क्वालिटी मॉनिटर के लिये मार्गदर्शी दिशा–निर्देश

क्वालिटी मॉनिटर की भूमिका :–

क्वालिटी मॉनिटर को, वरिष्ठ नागरिक होने के कारण, कार्यो एवं शासकीय सेवा का मूल्यवान अनुभव होता है। उन्हें अपने कार्य व्यवहार मैदानी अधिकारियों, शासन एवं आम जनता को उच्च स्तर का उदाहरण पेश करना चाहिये। वास्तव में उन्हें यह समझ होनी चाहिए कि वे मण्डल के हितों का रक्षण कर रहे है। उनका ज्ञान एवं अनुभव बहुमूल्य साबित होना चाहिए। क्वालिटी मॉनिटर की नियुक्ति इस बात को ध्यान में रखकर की गई है कि मण्डल को गुणवत्ता पूर्ण कार्य सम्पादित करने में आसानी हों। क्वालिटी मॉनिटर का कार्य मुख्यतः निर्माण कार्यो की गुणवत्ता एवं प्रगति के साथ–साथ सुधार हेतु महत्वपूर्ण सुझाव देना है। क्वालिटी मॉनिटर का उद्देश्य केवल गलतियॉ ढूँढने, मैदानीग अधिकारियों को हतोत्साहित अथवा उन्हें गलत सिद्ध करने के लिये नही होना चाहिए।

क्वालिटी मॉनिटर निगरानी के दायरे में :–

इस बात को ध्यान में रखना आवश्यक है कि क्वालिटी मॉनिटर पर हर समय निगरानी रखी जा रही है। मीडिया की ग्रामीण क्षेत्रों में भी उपस्थिति एवं सूचना के अधिकार अधिनियम के माध्यम से मण्डल की दिन प्रतिदिन की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता आने के कारण मण्डल के सेवक, यहॉ तक कि सेवानिवृत्ति के पश्चात् भी, की प्रत्येक क्रियाकलाप को नई दिशा मिली है। राज्य के आमजन एवं जनता के प्रतिनिधि उत्सुकतापूर्वक क्वालिटी मॉनिटर के कार्यो एवं व्यवहार पर निगाह रखते है। मैदानी अधिकारी, यहॉ तक कि सामान्यजन क्वालिटी मॉनिटर के कार्य एवं व्यवहार के बारे में सूचनाऍ देते है। क्वालिटी मॉनिटर्स मैदानी युवा अधिकारियों के समक्ष कार्य के प्रति गंभीरता का उत्कृष्ठ उदाहरण प्रस्तुत करना है।

क्वालिटी मॉनिटर्स के दायित्वः–

1. क्वालिटी मॉनिटर्स का प्राथमिक दायित्व है कि वे प्राक्कलन एवं प्रावधान के अनुरूप पूर्ण, अपूर्ण एवं निर्माणाधीन कार्यो का निरीक्षण कर, सुधार हेतु सुझाव प्रदान करें। उन्हें कार्य की प्रगति के संबंध में भी अपनी राय देना चाहिए।

2. कार्य निरीक्षण के पश्चात् 3 दिन के भीतर अपनी निरीक्षण टीप एवं प्रतिवेदन मण्डल मुख्यालय को प्रेषित करेंगे। अपर आयुक्त प्रतिवेदन का अवलोकन करेंगे एवं आवश्यकता होने पर 15 दिवस के भीतर संबंधित कार्यपालन यंत्री से एक्शन टेकन रिपोर्ट प्राप्त करेंगे।
3. क्वालिटी मॉनिटर का प्रतिमाह का दौरा कार्यक्रम अपर आयुक्त मुख्यालय द्वारा निर्धारित होगा।
4. अपर आयुक्त द्वारा निरीक्षण किये जाने वाले कार्यो का चयन किया जायेगा।
5. क्वालिटी मॉनिटर को अन्य बातों की अपेक्षा, अपना ध्यान मात्र कार्य की गुणवत्ता एवं कार्य की गुणवत्ता बढ़ाने संबंधी हेतु सुझाव पर केन्द्रित रखना चाहिए। निरीक्षण में पाये गये तथ्यों के लिये क्वालिटी मॉनिटर्स जवाबदेह होंगे। सतही स्तर का किया गया निरीक्षण मान्य नही होगा।
6. अपर आयुक्त के निर्देश पर क्वालिटी मॉनिटर द्वारा शिकायत से संबंधित कार्यो का निरीक्षण किया जा सकता है।
7. निरीक्षण पश्चात् कार्यो की गुणवत्ता के अनुसार ग्रेडिंग पैमाने पर की जानी होगी। कार्य असंतोषप्रद पाये जाने पर क्वालिटी मॉनिटर द्वारा कार्य की गुणवत्ता में सुधार हेतु आवश्यक मार्गदर्शन लिया जावेगा, जिसमें स्तरहीन निर्माण सामग्री बदलने एवं कियान्वयन की सही तकनीक का उपयोग, शामिल होगा।
8. क्वालिटी मॉनिटर के भ्रमण के समय कार्य स्थल पर ले जाने हेतु योजना के प्रभारी अभियंता कार्य से संबंधित किसी एक अधिकारी को साथ भेजेंगे।

यात्रा एवं पात्रता :—

1. रेल एवं बस की द्वितीय श्रेणी वातानुकूलित एवं निचली श्रेणियों में अपने निवास स्थान से भ्रमण के जिले तक यात्रा करना अनुज्ञय है।
2. पारिश्रमिक भत्ता रूपये 750/— प्रतिदिन के मान से देय होगा। अवधि, निवास स्थान से यात्रा प्रारंभ करने से लेकर समाप्त करने के समय तक मानी जावेगी।
3. कार्य स्थल पर निवास करने के लिये यदि मण्डल का गेस्ट हाउस समीपस्थ उपलब्ध हों, अथवा राज्य शासन का जिले का गेस्ट हाउस उपलब्ध हों, तो उसका उपयोग प्राथमिकता पर किया जायेगा अन्यथा क्वालिटी मॉनिटर्स किसी होटल में ठहरने की व्यवस्था कर सकते है जिस हेतु होटल का वास्तविक व्यय अथवा रूपये 500/— प्रतिदिन जो भी कम होगा, वह देय होगा।
4. भ्रमण स्थल पर निरीक्षण हेतु जिला मुख्यालय से भ्रमण स्थल तक वाहन की व्यवस्था संबंधित कार्यपालन यंत्री द्वारा की जायेगी।

क्या करें :–

1. यह सुनिश्चित किया जावें कि क्वालिटी मानिटर्स द्वारा किये जा रहे भ्रमण के कार्यक्रम की जानकारी संबंधित कार्यपालन यंत्री एवं उपायुक्त को हों। ताकि वे स्थल पर उपस्थित रह सकें।
2. जिला मुख्यालय तक पहुॅचने की व्यवस्था क्वालिटी मानिटर द्वारा स्वयं की जावेगी। जिले में भ्रमण हेतु संबंधित कार्यपालन यंत्री द्वारा व्यवस्था की जावेगी।
3. स्थानीय व्यक्तियों से कार्य की उपयोगिता गुणवत्ता एवं सार्थकता के संबंध में चर्चा की जायें।
4. निरीक्षण उपरान्त क्वालिटी मानिटर बंद लिफाफे में अपना निरीक्षण प्रतिवेदन अपर आयुक्त को देंगे।
5. निरीक्षण प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होना चाहिए कि अच्छे स्तर के कार्य एवं स्तरहीन कार्य के संबंध में विभेद करने की आपके अन्दर कितनी योग्यता एवं क्षमता है।
6. आपका दृष्टिकोण सही, सीधा एवं गैर समझौतावादी होना चाहिए।
7. यह स्मरण रखना चाहिए कि आपकी भूमिका पद प्रदर्शक की है। ना कि त्रुटियॉ निकालने वाले की। क्वालिटी मानिटर्स से अपेक्षा होगी कि वे अधिकारियों/कर्मचारियों को अपने सुधीर्घ, बहुमूल्य एवं सकारात्मक अनुभव से कार्य की गुणवत्ता सुधारने में महत्वपूर्ण मार्गदर्शन देंगे।

क्या न करें :–

1. निरीक्षण के लिये जिले तक पहुॅचने के लिये मण्डल से किसी वाहन विशेष की मांग न की जायें।
2. निरीक्षण के दौरान उपायुक्त/कार्यपालन यंत्रीयों से ठहरने की व्यवस्था, वाहन अथवा किसी भी प्रकार की अतिरिक्त सुविधा की अनुचित मांग न की जायें।
3. यदि किसी निर्माण कार्य के संबंध में कोई तथ्य मण्डल के ध्यान में लाने योग्य हों, तो तत्काल ऐसा किया जावें। क्वालिटी मानिटर्स अपनी निरीक्षण टीप प्रस्तुत करने में विचलन न करें।
4. निरीक्षण के दौरान अपने परिवार को साथ न ले जायें।

अपर आयुक्त
एम.पी.हाउसिंग बोर्ड, मुख्यालय भोपाल